संख्या-02/2023/I/260278/2023/ /001-71-4099-329-2019

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 11 जनवरी, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में इमरजेन्सी ट्रामा एवं बर्न सेन्टर की स्थापना हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–808/ई/यूपीयूएमएस/अनु0/2022-23 दिनांक 27.06.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में अवगत कराना है कि उ0प्र 0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में इमरजेन्सी ट्रामा एवं बर्न सेन्टर की स्थापना हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है -:

क्र0सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	स्वीकृत धनराशि रू 0 लाख में
1	1928/71-2-12-एस-9/2011 दिनांक 06.01.2012	1328.00
2	2413/71-2-13-एस-9/2011 दिनांक 12.07.2013	2656.00
3	2856/71-2-14-एस-9/2011 दिनांक 19.08.2014	2324.00
4	412/71-2-15-एस-9/2011 दिनांक 26.02.2015	4849.66
5	28/2015/994/71-2-15-एस-9/2011 दिनांक 18.03.2015	1018.42
	कुल	12176.08

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र 0आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में इमरजेन्सी ट्रामा एवं बर्न सेन्टर की स्थापना हेतु पुनरीक्षित लागत रू0

12692.27 लाख के सापेक्ष रोकी गयी 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 516.19 लाख (रूपये पॉच करोड़ सोलह लाख उन्नीस हजार मात्र) अनुदान संख्या-83 से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा , जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही। अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलसचिव/कार्यदायी संस्था की होगी।
4. शासनादेश संख्यात-28/2015/994/71-2-15-एस-9/2011 दिनांक 18.03.2015 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
5- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा द्वारा आहारित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,16,19,000 (रुपये पांच करोड़ सोलह लाख उन्नीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037892900 रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइस एण्ड रिसर्च, सैफई, इटावा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3-यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या/-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनॉक 07.06.2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव

संख्या एवं तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) कोषाधिकारी, इटावा।
3) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्विविद्यालय, सैफई, इटावा।
5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
6) इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, सैफई, इटावा।
7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 एवं समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ)।
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव